कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/प्रारं/RTE/C/बजट प्रावधान/18873/15–16/179 दिनांक–06/02/17

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा
.....(समस्त)

महत्वपूर्ण

ब्लॉ प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा
.....(समस्त)

विषयः–निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत निशुल्क प्रवेशित बालकों के संबंध में गैर सरकारी विद्यालयों को पुनर्भरण किये जाने हेतु आवंटित बजट राशि का तत्काल उपयोग करने के क्रम में ।

प्रसंगः–इस कार्यालय का पूर्व पत्रांकः–शिविरा/प्रारं/RTE/C/पुनर्भरण/18882/16–17/प्रथम किस्त/24 दिनांक 25.11.16 एवं पत्रांक 357 दिनांक 12.07.16 ।

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रासांगिक पत्र के क्रम में लेख है कि इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक 24 दिनांक 25.11.16 एवं पत्रांक 357 दिनांक 12.07.16 में आरटीई एक्ट 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रावधानान्तर्गत निशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित एवं सत्यापित बालकों की पुनर्भरण राशि का शैक्षिक सत्र 2015–16 की प्रथम/द्वितीय किस्त तथा 2016–17 की प्रथम किस्त का भुगतान करने हेतु आपको बजट आवंटन करने संबंधी प्रक्रिया निर्धारित कर पुनर्भरण का कार्य संपादित करने हेतु निर्देशित किया गय था । **दिनांक 31.01.2017** को IFMS से डाउनलोड रिपोर्ट अनुसार वित्तीय वर्ष 2016–17 में बीईईओ कार्यालयों को जो बजट राशि आवंटित की गई थी, वह पुनर्भरण हेतु व्यय नहीं की गई है जिससे गैर सरकारी विद्यालय पुनर्भरण राशि के भुगतान से वंचित रह रहे हैं । कुछ जिशिअमाशि कार्यालय जिनके पास अत्यधिक बजट राशि शेष है, उनका विवरण निम्नानुसार है–

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	जिले का नाम	बजट मद	शेष राशि (अप्रयुक्त राशि)
1	सुवाणा (1423)	भीलवाडा	2202–01–800–(14)–(00)–57	01 करोड 54 लाख
2	जयपुर (Sr. Dy.) (1696)	जयपुर	2202–01–800–(14)–(00)–57	02 करोड 38 लाख
3	सांगानेर (1698)	जयपुर	2202–01–800–(14)–(00)–57	01 करोड 09 लाख
4	हनुमानगढ (1477)	हनुमानगढ	2202–01–789–(04)–(00)–57	01 करोड 40 लाख

उपरोक्त बीईईओ कार्यालयों के अतिरिक्त अन्य बीईईओ कार्यालयों में भी लाखों रूपये की बजट राशि उपलब्ध है । अतः जिशिअप्राशि कार्यालय के आरटीई अनुभाग द्वारा प्रभावी मोनिटरिंग करते हुए भुगतान की कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चत करें ।

उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में भी अधिकांश बीईईओ कार्यालयों को आरटीई मद में आवंटित करोडों रूपये की बजट राशि का वित्तीय वर्ष की समाप्ति (दिनांक 31.03.16) तक उपयोग नहीं किये जाने के कारण लैप्स (lapse) हो गई थी जबकी बहुत से ब्लॉक कार्यालयों में बजट राशि के अभाव में विद्यालयों को भुगतान नहीं किया जा सका । ऐसी स्थिति में बीईईओ कार्यालयों के पास उपलब्ध राशि को समय पर समर्पण नहीं करने के कारण बजट राशि लैप्स हो गई । इस संबंध मे महालेखाकार द्वारा गंभीर आपत्ति की गई है, अतः जिन बीईईओ कार्यालयों की लापरवाही के कारण राशि लैप्स हुई है, उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करें ।

वित्तीय वर्ष 2016–17 समाप्ति पर है, अतः बीईईओ कार्यालयों के पास उपलब्ध राशि की अविलंब समीक्षा करवाकर आपके जिले के जिन बीईईओ कार्यालयों को राशि खर्च होने की संभावना नहीं है, उनसे राशि समर्पित करवाने के प्रस्ताव तैयार कर तथा जिन बीईईओ कार्यालयों को राशि की आवश्यकता है, उन्हें राशि आवंटित करवाने के संपूर्ण प्रस्ताव तैयार कर निदेशालय के आरटीई अनुभाग की ई–मेल ddrtebknr@gmail.com पर प्रेषित करवाया जाना सुनिश्चित करें जिससे बजट राशि के अभाव में किसी ब्लॉक कार्यालय के अधीन गैर सरकारी विद्यालय भुगतान से वंचित नहीं रहे ।

दिनांक 06.02.17 को आरटीई पोर्टल से शैक्षिक सत्र 2016–17 की प्रथम किस्त के भुगतान के संबंध में समीक्षा करने पर पाया गया की जिशिअप्राशि टोंक के अधीन बीईईओ कार्यालयों ने आदिनांक तक 282 में से केवल 09 विद्यालयों के पास ऑर्डर बनाये, जिशिअप्राशि सिरोही के अधीन बीईईओ कार्यालयों ने आदिनांक तक 205 में से केवल 20 विद्यालयों के पास ऑर्डर बनाये, जिशिअप्राशि अजमेर के अधीन बीईईओ कार्यालयों ने आदिनांक तक 475 में से केवल 12 विद्यालयों के पास ऑर्डर बनाये, जिशिअप्राशि बाडमेर के अधीन बीईईओ कार्यालयों ने आदिनांक तक 276 में से केवल 15 विद्यालयों के पास ऑर्डर बनाये तथा इसी प्रकार बहुत से जिशिअप्राशि कार्यालयों के अधीन बीईईओ कार्यालयों ने बहुत कम विद्यालयों के पास ऑर्डर जारी कियेग हैं। इस संबंध में लेख है कि आरटीई मद में भुगतान की गई राशि के आधार पर भारत सरकार द्वारा हिस्सा राशि राज्य सरकार को आवंटित की जाती है । वित्तीय वर्ष 2016–17 की रा.प्रा.शि.प. जयपुर की पी.ए.बी. (P.A.B.) की बैठक दिनांक 17.02.17 को आयोजित होना प्रस्तावित है जिसमें 10.02.17 तक की शैक्षिक सत्र 2016–17 की प्रथम किस्त के भुगतान हेतु बनाये गये पासऑर्डर की राशि सम्मिलित की जानी है । अब तक विभिन्न बीईईओ कार्यालयों द्वारा न्यूनतम विद्यालयों के पास ऑर्डर जारी करने के कारण बाद में भुगतान की गई राशि में से केन्द्र की हिस्सा राशि से राज्य सरकार को वंचित रहना पडेगा । अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 10.02.17 तक आपके जिले के अधीन समस्त बीईईओ कार्यालयों से पासऑर्डर जारी करवाये जाकर भुगतान कार्य सुनिश्चित करावें । राज्य सरकार ने अपने पत्र दिनांक 29.04.16 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट प्रावधान में से शैक्षिक सत्र 2015–16 में भुगतान से वंचित विद्यालयों को भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की है । अतः समस्त बीईईओ कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि सर्वप्रथम शैक्षिक सत्र 2015–16 की प्रथम/द्वितीय किस्त का भुगतान उपलब्ध बजट राशि में से किया जाना सुनिश्चित करें । इसके पश्चात् की सत्र 2016–17 की प्रथम किस्त का भुगतान करें ।

संलग्न–उपरोक्तानुसार ।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. वरिष्ठ शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5 विभाग), शासन सचिवालय, जयपुर ।
2. आयुक्त, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल, जयपुर ।
3. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा ।
4. सहायक लेखाधिकारी, बजट अनुभाग, कार्यालय हाजा को उनकी अ.टि. क्रमांकः–शिविरा/प्रारं/बजट/बी–5/9717/2016–17 दिनांक 02.02.17 के क्रम में ।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर